उत्तर प्रदेश सरकार
न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय)
संख्या–103 /सात–न्याय–2–2013–20जी/2011
लखनऊः दिनांकः 12 फरवरी, 2014

अधिसूचना
शुद्धि–पत्र

न्याय अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–472/सात–न्याय–2–2013–20जी/2011, दिनांक 16 अप्रैल, 2013 जिसे उ0प्र0 असाधारण गजट में कमशः हिन्दी तथा अंग्रेजी में उत्तर प्रदेश ग्राम न्यायालय प्रकिया और संव्यवहार नियमावली, 2009 प्रकाशित किया गया है, के अंग्रेजी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैंः–

1–अधिसूचना के शीर्षक PROCEDURE AND PRACTICE' के स्थान पर (PROCEDURE AND PRACTICE) पढ़ा जाय।

2– अधिसूचना की प्रस्तावना में शब्द 'In' के स्थान पर शब्द in तथा 'of powers' के स्थान पर शब्द of the powers तथा दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में शब्द 'section' एवं 'rules' के स्थान पर शब्द Section एवं Rules पढ़ा जाय।

3– अधिसूचना की तीसरी पंक्ति में नियम (1) (b) में शब्द "Nyayalaya" के स्थान पर शब्द Nyayalayas पढ़ा जाय।

4– अधिसूचना के नियम 2 के शीर्षक में 'Definitions' के स्थान पर Definition पढ़ा जाय।

5– अधिसूचना के नियम 2 (a) में The "Act" means the के स्थान पर 'The Act Means तथा पंक्ति के अंत में semi-colon (;) के स्थान पर fullstop . पढ़ा जाय।

6– अधिसूचना के नियम 2(b) में शब्द applicable के अन्त में semi-colon(;) के के स्थान पर fullstop . पढ़ा जाय।

7– अधिसूचना के नियम 2(c) में शब्द के 'section' के स्थान पर Section पढ़ा जाय।

8– अधिसूचना के नियम 2(d) में Panchyat के स्थान पर "Panchyat" तथा दूसरी पंक्ति में section के स्थान पर Section पढ़ा जाय।

9– अधिसूचना के नियम 2 के (c), (d), (e), (f), (g) के पश्चात् semi-colon (;) के स्थान पर fullstop . पढ़ा जाय।

Sri S.K. Pushkar

10— अधिसूचना के नियम 3 के शीर्षक में "jurisdiction" के स्थान पर Jurisdiction तथा "of a" के स्थान पर शब्द of पढ़ा जाय।

11— अधिसूचना के नियम 3(a) में "of a" के स्थान पर शब्द of तथा नियम 3(b) में शब्द intimation of के स्थान पर शब्द intimation to पढ़ा जाय।

12— अधिसूचना के नियम 4 में शब्द "of a" के स्थान पर शब्द of पढ़ा जाय।

13— अधिसूचना के नियम 5 में शब्द "sitting" के स्थान पर sittings पढ़ा जाय।

14— अधिसूचना के नियम 6 में शब्द "Gram Nyayalaya shall be in" के स्थान पर Gram Nyayalaya in पढ़ा जाय।

15— अधिसूचना के नियम 7 में शब्द "Officers" के स्थान पर officers पढ़ा जाय।

16— अधिसूचना के नियम 10 (a) में शब्द "proceeding' के स्थान पर शब्द proceedings पढ़ा जाय।

17— अधिसूचना के नियम 10 (a) में शब्द "Government increase" के स्थान पर शब्द Government may increase पढ़ा जाय।

18— अधिसूचना के नियम 10 (c) में शब्द "other applications" के स्थान पर शब्द other Applications पढ़ा जाय।

19— अधिसूचना के नियम 11 के शीर्षक में शब्द 'Proceedings' के स्थान पर शब्द proceedings तथा इसकी प्रथम पंक्ति में शब्द "All" के स्थान पर शब्द all पढ़ा जाय।

20— अधिसूचना के नियम 11 (a) में शब्द "immediately" के स्थान पर Immediately पढ़ा जाय।

21— अधिसूचना के नियम 11 (b) में शब्द "inform the Gram" के स्थान पर inform Gram तथा उसकी बारहवीं पंक्ति में शब्द "Gram Nyayalay" के स्थान पर शब्द Gram Nyayalaya पढ़ा जाय।

22— अधिसूचना के नियम 12 के शीर्षक में शब्द "original" के स्थान पर शब्द Original पढ़ा जाय।

23— अधिसूचना के नियम 14 के शीर्षक में शब्द Registration of Plaint Petition के स्थान पर शब्द Registration of Plaint /petition पढ़ा जाय।

—3—

IndiaCode

24— अधिसूचना के नियम 14 की दूसरी पंक्ति में शब्द "registers" के स्थान पर शब्द Registers पढ़ा जाय।

25— अधिसूचना के नियम 15 (a) में शब्द "summon" के स्थान पर शब्द summons पढ़ा जाय।

26— अधिसूचना के नियम 19 के शीर्षक में शब्द "counciliator" के स्थान पर शब्द Counciliator पढ़ा जाय।

27— अधिसूचना के नियम 20 की प्रथम पंक्ति में शब्द "conciliator" के स्थान पर शब्द Conciliator पढ़ा जाय।

28— अधिसूचना के नियम 21 के शीर्षक में शब्द "conciliators" के स्थान पर शब्द Conciliators पढ़ा जाय।

29— अधिसूचना के नियम 22 में शब्द "rule" के स्थान पर शब्द Rule पढ़ा जाय।

30— अधिसूचना के नियम 23 में शब्द "proceeding" के स्थान पर शब्द proceedings पढ़ा जाय।

31— अधिसूचना के नियम 26 की दूसरी पंक्ति में शब्द "it of the" के स्थान पर शब्द it of all the पढ़ा जाय।

32— अधिसूचना के नियम 28 में शब्द "name of Gram" के स्थान पर शब्द name of the Gram पढ़ा जाय।

33— अधिसूचना के नियम 34 की दूसरी पंक्ति में शब्द "Judes" के स्थान पर शब्द Judges पढ़ा जाय।

34— अधिसूचना के नियम 1 से 34 के शीर्षक के अन्त में colon (:) पढ़ा जाय।

2— उपर्युक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाय। शेष यथावत् रहेगा।

आज्ञा से,

(एस0के0 पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

—4—

संख्या—303 (1)/सात—न्याय—2—2014—20जी/2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग—4, खण्ड क में दिनांक 12 फरवरी, 2014 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

(चन्द्र मौलि शुक्ल)
विशेष सचिव ।

संख्या—303 (2)/सात—न्याय—2—2014—20जी/2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्र संख्या—943/2014/एडमिन0जी—11 से0, दिनांक 21—1—2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

11.2.14
(चन्द्र मौलि शुक्ल)
विशेष सचिव ।

IndiaCode

(५५)

(10)

क्रम-सं०–103

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रैट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 16 अप्रैल, 2013

चैत्र 26, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 472/सात-न्याय-2–2013-20जी-2011
लखनऊ, 16 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

सा0प0नि0–27

उत्तर प्रदेश ग्राम न्यायालय प्रक्रिया और संव्यवहार नियमावली, 2009

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 के साथ पठित ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 4 सन् 2009) की धारा 39 के द्वारा प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय–एक

1–(क) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ग्राम न्यायालय (प्रक्रिया और संव्यवहार) नियमावली, 2009 कही जायेगी । — संक्षिप्त नाम

(ख) यह ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में यथा गठित ग्राम न्यायालयों पर लागू होगी। — प्रवर्तन और

(ग) यह उत्तर प्रदेश के गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी। — प्रारम्भ

2–इस नियमावली में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:– — परिभाषाएं

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 4 सन् 2009) से है;

(ख) "संहिता" का तात्पर्य यथा प्रयोज्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता से है;

(ग) "मध्यस्थ" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ से है;

(घ) "क्षेत्र पंचायत" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उपधारा (2) में यथा परिभाषित किसी क्षेत्र पंचायत से है;

(ङ) " राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(च) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है;

(छ) "कार्यवाहियों" में अभिवचन, याचिका, परिवाद और आवेदन सम्मिलित होंगे;

(ज) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, सिविल प्रकिया संहिता, 1908 अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित शब्दों और पदों के कमशः वही अर्थ होंगे जैसा कि समय–समय पर उनके लिए उन अधिनियमितियों में समनुदेशित हैं ।

अध्याय–दो

ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता की अवस्थिति

3–(क) ग्राम न्यायालय की स्थापना क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर अथवा ऐसे अन्य स्थान पर की जायेगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता एक या अधिक उन क्षेत्र पंचायतों पर होगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गयी है।

(ख) ग्राम न्यायालय उच्च न्यायालय की सूचना के अधीन पूर्ववर्ती सार्वजनिक नोटिस के द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर कर सकता है।

कार्यालय समय

4–ग्राम न्यायालय का कार्यालय समस्त कार्य दिवसों में पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक अथवा ऐसे अन्य समय के दौरान जैसा कि समय–समय पर उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाय, खुला रहेगा ।

ग्राम न्यायालय की बैठक का समय

5–ग्राम न्यायालय साधारणतया अपनी बैठक अपरान्ह 1.30 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे के बीच आधे घंटे से अनधिक मध्यान्ह भोजन विराम के साथ, पूर्वान्ह 10.30 से अपरान्ह 1.30 और अपरान्ह 2.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक आयोजित करेगा ।

कार्यवाहियों याचिकाओं और परिवादों की भाषा

6–ग्राम न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियां हिन्दी/देवनागरी लिपि में होगी ।

अध्याय–तीन

न्यायाधिकारी की नियुक्ति

7–राज्य सरकार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से ऐसे न्यायालयों के लिए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के संवर्ग के अधिकारियों में से न्यायाधिकारी की नियुक्ति करेगी ।

कर्मचारीवृन्द

8–प्रत्येक ग्राम न्यायालय को सुचारू एवं दक्षतापूर्ण कार्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित एवं अनुमोदित यथा आवश्यक समझा गया कर्मचारिवर्ग उपलब्ध कराया जायेगा।

चल न्यायालय

9–न्यायाधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पूर्व सूचना देकर अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर चल न्यायालय आयोजित कर सकता है।

अध्याय–चार

दीवानी वादों के संबंध में कार्यवाही

ग्राम न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता और संदेय न्यायालय शुल्क

10–(क) रू0 25000/– तक के मूल्यांकन के समस्त दीवानी कार्यवाहियों पर विचार करने और विनिश्चय करने की अधिकारिता ग्राम न्यायालय की होगी :

परन्तु यह कि अधिकारिता के अवधारण के प्रयोजनार्थ मूल्य, न्यायालय फीस अधिनियम, 1989 के साथ पठित वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय समय–समय पर न्यायाधिकारी की आर्थिक अधिकारिता की सीमा को बढ़ा या घटा सकता है।

पी.

पी.

41 R

(ख) प्रत्येक वाद पत्र अथवा मूल याचिका पर रु0 50/– का एक नियत न्यायालय शुल्क संदेय होगा ।

(ग) वकालतनामा पर रु0 5/– और अन्य सभी आवेदनों पर रु0 2/– का शुल्क संदेय होगा ।

कार्यवाहियों और दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

11–(क) ग्राम न्यायालय के समक्ष दाखिल किये जाने वाले समस्त कार्यवाहियों, दस्तावेज और अन्य अपेक्षित पत्रजात व्यक्तिगत रूप से पक्षकार द्वारा अथवा उसके काउंसेल या उसके पंजीकृत लिपिक द्वारा उन्हें प्रदान करते हुए मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी अथवा उस निमित्त विशेष रूप से विनिर्दिष्ट ग्राम न्यायालय के किसी अन्य अधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय अवधि के दौरान 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व अथवा यदि पीठासीन अधिकारी चाहें तो 3.00 बजे अपरान्ह के बाद भी, प्रस्तुत अथवा दाखिल किये जायेंगे। अभिप्राप्ति पर, अधिकारी तत्काल उस पर तिथि सहित अपने आद्यक्षर करेगा और यदि उसके द्वारा कोई कार्यवाही संस्थित कर दी जाती है तो, उक्त के प्रयोजनार्थ एक जिल्दबंद रजिस्टर में आवंटित की जाने वाली एक क्रम संख्या देगा। कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने की दशा में इसकी एक प्रविष्टि तत्काल उसमें कर दी जायेगी।

(ख) ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने वाला अथवा दाखिल किया जाने वाला अपेक्षित कोई दस्तावेज अथवा कार्यवाही डाक, टेलीग्राम अथवा फोनोग्राम के माध्यम से अभिप्राप्त नहीं किया जायेगा :

परन्तु जहाँ ग्राम न्यायालय के समक्ष, जिसमें उसे इस रूप में एक पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जाता है, कोई शासकीय रिसीवर अथवा किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी कोई कार्यवाही प्रतिवाद करने या विरोध करने का इरादा नहीं रखता है अथवा ग्राम न्यायालय के संज्ञान में कार्यवाही में किसी औपचारिक त्रुटि को लाने का इच्छुक है, वहाँ वह तदनुसार कार्यवाही के लिए समुचित प्रारूप में लिखित कथन के द्वारा ग्राम न्यायालय को सूचित कर सकता है और उसे डाक द्वारा या वैयक्तिक सन्देशवाहक द्वारा ग्राम न्यायालय को भेज सकता है ।

वाद पत्र और मूल याचिका का प्रारूप

12–(क) वाद पत्र और मूल याचिकाओं में, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(एक) ग्राम न्यायालय का नाम जिसमें वाद दायर किया गया है;

(दो) परिवादी/याची का नाम, वर्णन और निवास का स्थान;

(तीन) प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का नाम, वर्णन और निवास का स्थान , जहाँ तक वे अभिनिश्चित किये जा सकें;

(चार) जहाँ परिवादी अथवा प्रतिवादी अवयस्क अथवा विकृत मस्तिष्क का व्यक्ति है, वहाँ उस आशय का कथन और अवयस्क के मामले में वाद पत्र को सत्यापित करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उसकी आयु के संबंध में कथन;

(पांच) कार्यवाही के हेतुक को संघटित करने वाले तथ्य और जब यह उत्पन्न हुआ;

(छः) समाधान करने के लिये तथ्य कि ग्राम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है ;

(सात) अनुतोष जिसका कि परिवादी/याची दावा करता है ;

(आठ) जहाँ परिवादी/याची ने मुजरा की अनुमति दे दी है अथवा अपने दावे के आंशिक भाग को त्याग दिया है, वहा इस प्रकार अनुज्ञात अथवा त्यक्त धनराशि ;और

(नौ) जहां तक मामला स्वीकार्य हो, क्षेत्राधिकार के प्रयोजनार्थ वाद की विषय–वस्तु के मूल्यांकन का विवरण ।

(ख) जहाँ परिवादी अथवा प्रत्यर्थी अवयस्क अथवा विकृत मस्तिष्क का व्यक्ति है, वहां लागू सीमा तक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश बत्तीस के उपबन्ध लागू होंगे ।

पक्षकारों की उपस्थिति

13–ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए कोई पक्षकार वैयक्तिक रूप से अथवा सम्यक् रूपेण प्राधिकृत अपने काउंसेल के माध्यम से उपस्थित हो सकता है ।

वाद पत्र/याचिका का पंजीकरण

14—सिविल प्रकृति की सभी कार्यवाहियों का विवरण जनरल रूल्स (सिविल), 1957 में यथाविहित रजिस्टरों में पंजीकृत किया जायेगा ।

प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों को समन कैसे तामील की जाय

15—(क) यथास्थिति, जब कोई वादपत्र/याचिका सम्यकरूपेण प्रस्तुत किया गया है, तब ग्राम न्यायालय उसे पंजीकृत करायेगा और लिखित में समन के द्वारा विनिर्दिष्ट दिवस को प्रतिवादी की उपस्थिति और उत्तर की अपेक्षा करेगा।

(ख) प्रतिवादी पर समन की तामील वैयक्तिक रूप से अथवा रसीदी डाक द्वारा की जायेगी।

(ग) यदि प्रतिवादी पर समन की तामील वैयक्तिक रूप से की जाती है, तो समन की तामील करने वाले व्यक्ति द्वारा समनों पर उसके हस्ताक्षर लिये जायेंगे और समन की एक प्रतिलिपि प्रतिवादी को प्रदान की जायेगी; और डाक के माध्यम से तामील के मामले में प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने हेतु तात्पर्यित अभिस्वीकृति ऐसे समनों की तामील का सबूत समझा जायेगा ।

तामील की रीति जब प्रतिवादी/प्रत्यर्थी तामील से बचता हो

16—यदि ग्राम न्यायालय का समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी समनों की तामील से बच रहा है, अथवा समनों पर हस्ताक्षर अंकित करने से इन्कार किया है, या नियम 12 में उसके लिए उपबंधित रीति से किसी अन्य कारण से समनों की तामील नहीं करायी जा सकती है, तब ग्राम न्यायालय आदेश दे सकता है कि उस परिक्षेत्र , जिसमें वह प्रतिवादी निवास करता है, व्यवसाय करता है अथवा अभिलाभ के लिए कार्य करता है, में परिचालित दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञापन के द्वारा समनों की तामील करायी जाय ।

तामील की रीति जब प्रतिवादी/प्रत्यर्थी स्थानीय अधिकारिता से बाहर हो

17—जब प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ग्राम न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर हो, तब समन को रसीदी रजिस्ट्री डाक के माध्यम से तामील कराया जायेगा और सम्यक पावती की वापसी को उसमें उल्लिखित तथ्यों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य समझा जायेगा ।

पक्षकारों की उपस्थिति और गैर-हाजिरी के परिणाम

18—पक्षकारों की उपस्थिति और गैरहाजिर रहने के परिणाम के मामलों में संहिता का आदेश नौ लागू होगा ।

अध्याय—पांच

सौहार्दपूर्ण समझौता और मध्यस्थ के निर्देश हेतु ग्राम न्यायालय के प्रयास

19—(क) ग्राम न्यायालय आरंभिक रूप से पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिये प्रयास करेगा ।

(ख) यदि किसी स्तर पर या कार्यवाहियों में यह प्रतीत होता है कि पक्षकार सौहार्दपूर्वक समझौता करने वाले हैं, तब ग्राम न्यायालय पश्चातवर्ती दिनांक के लिये सुनवाई को स्थगित कर सकता है और इस बारे में मध्यस्थता के परिणामस्वरूप कोई रिपोर्ट 15 दिवसों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामला किसी मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों को संदर्भित कर सकता है ।

(ग) यदि किसी वाद, दावा अथवा विवाद या उसके किसी भाग से संबंधित मध्यस्थ के समक्ष पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तब दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित और मध्यस्थ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ऐसा समझौता लेखबद्ध किया जायेगा ।

ग्राम न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों का निस्तारण

20—मध्यस्थ/मध्यस्थों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण पर ग्राम न्यायालय मामले को उसके लिए नियत दिनांक को सुनवाई के लिए ग्रहण करेगा और उसके संबंध में निर्णय या आदेश सुनायेगा जब तक कि ग्राम न्यायालय के विचार में समझौते का निबन्धन अविवेकपूर्ण अथवा अविधिमान्य या लोक नीति के विरूद्ध न हो ।

मध्यस्थों की नियुक्ति और अर्हता

21—(क) जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तैयार किये गये एक पैनल से सरकार द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की जायेगी और जिले में उनकी तैनाती ग्राम न्यायालय के विवेक के आधार पर की जायेगी ।

(ख) मध्यस्थों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/समाजशास्त्र की स्नातकोत्तर उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए और वे सत्यनिष्ठा, अभिरूचि और अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे ।

(ग) यदि पक्षकार अपना विवाद नहीं निपटाते हैं अथवा जहां समझौते का निबन्धन अविवेकपूर्ण अथवा अविधिमान्य प्रतीत होता है, वहां ग्राम न्यायालय सुनवाई की कार्यवाही करेगा और मामले का विधि के अनुसार गुण–दोष के आधार पर निपटारा करेगा ।

कार्यवाहियों का प्रत्याहरण

22–कार्यवाहियों के प्रत्याहरण के लिये संहिता के आदेश तेईस नियम-1 के अधीन विहित कार्यवाहियां लागू होंगी ।

सिविल प्रकिया संहिता और जनरल रूल्स (सिविल), 1957 का लागू होना

23–सिविल कार्यवाही के सम्बन्ध में सिविल प्रकिया संहिता और जनरल रूल्स (सिविल), 1957 के उपबंधों का अनुसरण उस सीमा तक किया जा सकता है जहाँ तक वे अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हों ।

अध्याय–छः

आपराधिक वादों का शुरू किया जाना

24–आपराधिक वादों के सम्बन्ध में प्रकिया :–

(क) ग्राम न्यायालय के समक्ष आपराधिक वाद, चाहे पुलिस रिपोर्ट पर या शिकायतकर्ता द्वारा मौखिक या लिखित में दी गई शिकायत पर शुरू किये जा सकेंगे ।

(ख) यदि शिकायतं मौखिक रूप में दी गयी है तो न्यायाधिकारी द्वारा उसे लिखित रूप में लिपिबद्व किया जाएगा और उसे शिकायतकर्ता को सुनाया जाएगा और शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कराया जाएगा।

विचारण हेतु प्रकिया

25–इस अध्याय के अधीन विचारणों के लिये संहिता के अध्याय–इक्कीस के अधीन विहित प्रकिया लागू होगी।

संक्षिप्त विचारणों का अभिलेख

26–प्रत्येक ग्राम न्यायालय एक जिल्दबंद रजिस्टर का रख–रखाव करेगा जिसमें कि नियम-21 के अधीन संस्थित वादों की प्रविष्टियां अंकित की जाएंगी ।

दंड प्रकिया संहिता और जनरल रूल्स (क्रिमिनल), 1977 का लागू होना

27–आपराधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दंड प्रकिया संहिता और जनरल रूल्स (क्रिमिनल), 1977 के उपबंधों का अनुसरण उस सीमा तक किया जा सकता है जहां तक वे अधिनियम और इस नियमावली से असंगत न हो।

अध्याय–सात

ग्राम न्यायालय की मुहर

28–प्रत्येक ग्राम न्यायालय की एक कार्यालयीय मुहर होगी जिसमें उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यथा अनुमोदित ग्राम न्यायालय का नाम होगा ।

ग्राम न्यायालय का निरीक्षण

29–किसी जनपद में ग्राम न्यायलय का निरीक्षण प्रत्येक छः माह पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या इस संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत उच्च न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा/वे ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जो आवश्यक हों और उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

न्यायालय की अधिकारिता में बेदखली

30–ग्राम न्यायालयों को, अपनी अधिकारिता द्वारा आच्छादित और विनिर्दिष्ट रूप से उनको प्रदत्त मामलों के सम्बन्ध में अनन्य अधिकारिता प्राप्त होगी ।

समय, जिसके अंतर्गत निर्णय और अंतिम आदेश परिदत्त किये जाएंगे

31–सिविल मामलों में निर्णय और अंतिम आदेश, मामले की अंतिम सुनवाई के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर और आपराधिक मामलों में सात दिनों के भीतर दे दिया जाएगा । यदि ग्राम न्यायालय किसी मामले में अपना निर्णय/अंतिम आदेश विहित समय के भीतर देने में विफल रहता है तो उसके कारणों को अभिलिखित किया जाएगा। संहिता में दिये गये अनुदेशों के अतिरिक्त प्रत्येक निर्णय/अंतिम आदेश में निम्नलिखित बातें होंगी:–

(क) यदि अपील की जा सकती है तो अपील के लिये विधिमान्य अवधि,

(ख) अपीलीय फोरम का नाम।

प्रपत्र (फार्म)

32—संहिता, जनरल रूल्स (सिविल), 1957 और जनरल रूल्स (क्रिमिनल), 1977 में विहित प्रपत्र, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

अध्याय—आठ

छुट्टियां

33—ग्राम न्यायालय ऐसी छुट्टियां रखेगा जैसी उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये समय-समय पर घोषित की जाए ।

गोपनीय प्रतिवेदन

34—न्यायाधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन जिले के सम्बन्धित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा लिखे जाएंगे जैसा कि अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों में लिखा जाता है और उसे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

सेवा शर्तों की नियमावली

35—न्यायाधिकारीगण भी उन्हीं सेवा शर्तों सम्बन्धी नियमों के अध्यधीन होंगे जो कि अधीनस्थ न्यायालयों के अन्य न्यायिक अधिकारियों पर लागू है ।

परिसीमन

36—ग्राम न्यायालयों के समक्ष की कार्यवाहियों में इंडियन लिमिटेशन, ऐक्ट, 1963 के उपबंध लागू होंगे । ग्राम न्यायालय में ऐसा कोई वाद या कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी जिसके लिये इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट द्वारा विहित परिसीमन अवधि समाप्त हो चुकी हो।

नियमावली में संशोधन

37—उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को किसी भी नियम को, जब भी आवश्यक समझा जाय, संशोधित,उपांतरित करने, हटाने की या शिथिल करने की शक्ति होगी ।

आज्ञा से,
शशि कान्त पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 472/VII-Nyaya-2–2013-20G-2011
Dated Lucknow, April 16, 2013

THE UTTAR PRADESH GRAM NYAYALAYA PROCEDURE AND PRACTICE RULES, 2009

IN exercise of the powers conferred by section 39 of the Gram Nyayalaya Act, section 122 of the Code of Civil Procedure and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad in consultation with the Government of Uttar Pradesh makes the following rules :—

CHAPTER-I

Short title, Application and Commencement

1. (a) These Rules may be called the Uttar Pradesh Gram Nyayalaya (Procedure and Practice) Rules, 2009.

(b) They shall apply to Gram Nyayalayas as constituted in the State of Uttar Pradesh under the Gram Nyayalaya Act, 2008.

(c) They shall come into force with effect from the date of publication in the official *Gazette* of the State of Uttar Pradesh.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) The "Act" means the Gram Nyayalayas Act, 2008 (Act no.4 of 2009);

(b)"Code" means the Code of Criminal Procedure or the Code of Civil Procedure, as may be applicable;

(c)"Conciliator" means the Conciliator appointed under section 27 of the Act;

(d)"Kshetra Panchayat" means a Kshetra Panchayat as defined in section 2 (6) of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961;

(e) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(f) "High Court" means the High Court of Judicature at Allahabad;

(g) "Proceedings" shall include pleadings, petitions, complaints and applications;

(h) Words and expressions used but not defined herein and defined in Gram Nyayalayas Act , 2008 , the Code of Civil Procedure, 1908 or the Code of Criminal Procedure, 1973 shall have the meanings respectively assigned to them in those Statutes as applicable from time to time.

CHAPTER-II

Location of territorial jurisdiction of Gram Nyayalaya

3. (a) Gram Nyayalaya shall be established at the Headquarters of Kshetra Panchayat or at such other place as may be notified by the State Government and shall have the territorial jurisdiction over one or more Kshetra Panchayats for which it is established.

(b) Gram Nyayalaya may conduct sittings at such place or places within the jurisdiction with prior public notice under intimation of the High Court.

Office Hours

4. The office of Gram Nyayalaya shall be open on all working days from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. or during such other hours as may be notified by the High Court from time to time.

Sitting hours of Gram Nyayalaya

5. The Gram Nyayalaya shall ordinarily hold sittings from 10.30 a.m. to 1.30 p.m. and from 2.00 p.m. to 4.00 p.m. with a lunch break not exceeding half-an-hour between 1.30 p.m. to 2.00 p.m.

Language of Proceedings, Petitions and Complaints

6. All proceedings before the Gram Nyayalaya shall be in Hindi/Devnagari Script.

CHAPTER-III

Appointment of Nyayadhikari

7. The State Government shall in consultation with the High Court of Judicature at Allahabad appoint Nyayadhikari from amongst the Officers of the cadre of Civil Judge (Junior Division) for such Nyayalayas.

Staff

8. Each Gram Nyayalaya will be provided the staff as is considered necessary as required and approved by the High Court for smooth and efficient functioning.

Mobile Court

9. Nyayadhikari may within his local limits hold mobile court with prior intimation to the Chief Judicial Magistrate or the District and Sessions Judge of the District.

CHAPTER-IV

PROCEDURE IN RESPECT OF CIVIL CASES

Pecuniary Jurisdiction of the Gram Nyayalaya and the court fee payable

10. (a) The Gram Nyayalaya shall have jurisdiction to entertain and decide all Civil proceeding of valuation up to Rs.25,000/-:

Provided that the value for the purpose of determining the jurisdiction shall be done as per the provisions of the Suits Valuation Act, 1887 *read* with the Court Fees Act, 1989 :.

Further provided that the High Court may from time to time in consultation with the State Government increase or reduce the limit of pecuniary jurisdiction of the Nyayadhikari.

(b) A fixed Court fee of Rs. 50/- shall be payable on every plaint or original petition.

(c) The fees payable on vakalatnama shall be Rs.5/- and on all other applications shall be Rs.2/- .

Presentation of Proceedings and documents

11. (a) All proceedings, documents and other papers required to be filed before the Gram Nyayalaya shall be presented or filed before the Chief Ministerial Officer or any other officer of Gram Nyayalaya specifically specified in that behalf, by delivery of the same by the party personally or by his counsel or the letter's registered clerk on any working day during the office hours before 3.00 p.m., or if the presiding officer so desires, even after 3.00 p.m. immediately on receipt, the officer shall put his dated initials thereon and if a proceeding thereby is instituted, assign a serial number to be allotted and preserved for the said purpose in a bound register. In case the computers are provided an entry of it shall immediately be made in the same.

(b) No document or proceeding required to be presented to or filed in Gram Nyayalaya shall be received by post, telegram or phonogram:

Provided that in cases where an Official Receiver or an Officer appointed by any Court does not intend to defend or contest any proceeding before a Gram Nyayalaya in which he is impleaded in such capacity as a party or wishes to bring a formal defect in the proceeding to the notice of the Gram Nyayalaya, he may inform (the) Gram Nyayalaya accordingly by a statement in writing in a form appropriate to the proceeding and send it to the Gram Nyayalay by post or by personal messenger.

Form of plaint and original Petition

12. (a) The plaint and original petitions shall contain the following particulars;

i. the name of the Gram Nyayalaya in which the suit is filed;

ii. the name , description and place of residence of the plaintiff/petitioner;

iii. The name, description and place of residence of the defendant/ respondent, so far as they can be ascertained;.

iv. Where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect, and, in case of a minor, a statement regarding his age to the best of the knowledge and belief of the person verifying the plaint;

v. The facts constituting the cause of action and when it arose;

vi. The facts to satisfy that the Gram Nyayalaya has jurisdiction;

vii. The relief which the plaintiff/petitioner claims;

viii. Where the plaintiff/petitioner has allowed a set-off or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished; and

ix. a statement of the value of the subject matter of the suit for the purposes of jurisdiction so far as the case admits.

(b) Where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind, the provisions of Order XXXII of the Code of Civil Procedure shall apply to the extent applicable.

Appearance of the parties

13. A Party to the proceeding before the Gram Nyayalaya may appear in person or through his counsel duly authorised.

Registration of plaint/petition

14. The details of all the proceedings of a civil nature shall be registered in registers as prescribed in the General Rules (Civil), 1957.

Summons to defendants/ respondents how served

15. (a) When a plaint/petition as the case may be has been duly presented, the Gram Nyayalaya shall cause the same to be registered, and shall, by summon in writing , require the defendant to appear and answer the claim on a specific day.

(b) The summons shall be served on the defendant personally or by registered post acknowledgement due.

(c) In case the summons is served on the defendant personally, his signature shall be taken on the summons by the person serving the summons and a copy thereof delivered to him; and in case of postal service, an acknowledgment purporting to be signed by the defendant shall be deemed to be proof of service of such summons.

Mode of service when defendant/ respondent evades service

16. If the Gram Nyayalaya is satisfied that the defendant/respondent is evading service of summons, or has refused to affix his signature to the summons, or for any other reason the summons can not be served in the manner provided for in rule 12, the Gram Nyayalaya may order that it be served through an advertisement in daily newspaper circulating in the locality in which the defendant resides, carries on business or works for gain.

Mode of service when defendant/ respondent is beyond local Jurisdiction

17. When the defendant/respondent is beyond local Jurisdiction of Gram Nyayalaya, the summons shall be served through registered post with acknowledgement due and the return of the acknowledgement due shall be prima facie evidence of the facts stated therein.

18. In matters of appearance and consequence of non-appearance of parties Order IX of the Code shall apply. — Appearance of the parties and consequence of the non-appearance

CHAPTER-V

19. (a) Gram Nyayalaya shall initially endeavour to bring an amicable settlement between the parties. — Gram Nyayalaya to attempt amicable settlement and reference to Conciliator

(b) If it appears at any stage or the proceedings that the parties are likely to settle the matter amicably, the Gram Nyayalaya may adjourn the hearing to a later date and refer the matter to a conciliator or conciliators with a direction to submit a report as to the outcome of the conciliations within 15 days of such reference.

(c) If the parties arrive at a settlement before the conciliator relating to the suit, claim or dispute or any part thereof, such settlement shall be reduced to writing signed by both the parties and countersigned by the conciliator.

20. Upon submission of report by the conciliator/ conciliators the Gram Nyayalya shall take up the matter for hearing on a date fixed therefor and shall pronounce the judgement or order in terms thereof unless it considers the terms of the settlement unconscionable or illegal or against the public policy. — Gram Nyayalaya to dispose of proceedings

21. (a) Conciliators shall be appointed by the Government from a panel prepared by the District and Sessions Judge in consultation with District Magistrate and they shall be deployed at the disposal of Gram Nyayalaya in the district. — Appointment and qualification of conciliators

(b) Persons to be appointed as conciliators must have Master's Degree in Social Work/Psychology/Sociology and shall be persons of integrity, aptitude and experience.

(c) If the parties do not settle their dispute or where the terms of settlement appear to be unconscionable or illegal, the Gram Nyayalaya shall proceed to hear and dispose of the matter on merit in accordance with law.

22. The proceedings prescribed under Order XXIII Rule 1 of the Code shall apply for the withdrawal of the proceedings. — Withdrawal of proceedings

23. The provisions of the Code of Civil Procedure and General Rules (Civil), 1957 may be followed in respect of civil proceeding to the extent they are not inconsistent with the provisions of the Act and these rules. — Applicability of the Code of Civil Procedure and the General Rules (Civil), 1957

CHAPTER-VI

PROCEDURE IN RESPECT OF CRIMINAL CASES

24. (a) Initiation of Criminal Cases before the Gram Nyayalaya shall be either on a police report or a complaint given orally or in writing by the complainant. — Initiation of Criminal Cases

(b) If the complaint is given orally, the same shall be reduced to writing by the Nyayadhikari and read over to the complainant and signed by the complainant.

25. In trials under this Chapter, the procedure prescribed under Chapter XXI of the Code shall apply. — Procedure for trials

26. Every Gram Nyayalaya shall maintain a bound register for making an entry into it of the cases instituted there under Rule (21). — Record in Summary Trials

27. The provisions of the Code of Criminal Procedure and the General Rules (Criminal), 1977 may be followed in respect of criminal proceedings to the extent they are not inconsistent with the Act and these rules — Applicability of the Code of Criminal Procedure and the General Rules (Criminal), 1977

CHAPTER-VII

Seal of the Gram Nyayalaya

28. Every Gram Nyayalaya shall have an office seal containing the name of Gram Nyayalaya as approved by the High Court of Judicature at Allahabad Court.

Inspection of Gram Nyayalaya

29. The Gram Nyayalaya in a District shall be inspected by the District and Sessions Judge concerned every six months or by an officer of the High Court specifically authorised in this behalf. They shall issue such directions as are necessary and shall submit a report to the High Court.

Ouster of the Jurisdiction of Courts:

30. Gram Nyayalaya shall have exclusive jurisdiction in respect of matters covered by it's jurisdiction and specifically conferred on it.

Time within which the judgement and final order are to be delivered.

31. The judgement and final orders in civil matters be delivered within 15 days from the date of final hearing of the matter and in criminal matters within 7 days. If the Gram Nyayalaya fails to deliver it's judgement/final order in any matter within the prescribed time the reasons thereof shall be recorded.

Apart from the instructions in the Code , every judgement/final order shall contain the following:

(a) The statutory period for appeal, if appeal lies.

(b) Name of the appellate forum.

Forms

32. The forms prescribed in the Code, General Rules (Civil), 1957 and the General Rules (Criminal), 1977 shall apply *mutatis mutandis*.

CHAPTER-VIII

Holidays

33. Gram Nyayalaya shall observe such holidays, as are declared by the High Court of Judicature at Allahabad for the subordinate courts from time to time.

Confidential Reports

34. Confidential reports of Nyayadhikaris shall be written by the concerned District and Sessions Judge of the district as is written in case of other subordinate Judges and will be placed before the High Court of Judicature at Allahabad.

Service Condition Rules

35. The Nyayadhikari shall be subject to the same Service Condition Rules as are applicable to the other Judicial Officers of the Subordinate Courts.

Limitation

36. The provisions of the Indian Limitation Act, 1963 shall be applicable in proceedings before Gram Nyayalayas. No suit or proceeding shall be instituted in a Gram Nyayalaya for which the period of limitation prescribed by the Indian Limitation Act has expired.

Amendment in Rules

37. The High Court of Judicature at Allahabad shall have power to amend, modify, delete or relax any rule whenever it is deemed necessary.

By order,
SHASHI KANT PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 41 राजपत्र (हि०)–2013–(85)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 4 सा० न्याय–2013–(86)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

41 RPH Nay Aoubhag-data-2 Niyamawali